

नोटा और भारत का मतदाता

पृष्ठभूमि

- “जनता दवारा, जनता के लिए, जनता का शासन ही लोकतंत्र है” अबराहम लकिन की यह प्रसिद्ध उक्तालोकतंत्र की सबसे सरल और प्रचलित परभाषा मानी जाती है। गौरतलब है कि लोकतंत्र की इस व्यवस्था में मालकिना हक्क तो जनता का ही है लेकिन जसि तरह से जनता के प्रतिनिधि चुने जाते हैं उसे लेकर असंतोष ज़ाहरि कथि जाता रहा है।
- लोकतंत्र के महापर्व यानी चुनावों में यदि जनता को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता हो फरि भी वह यह समझकर मतदान करता है कि वो बुरे उम्मीदवारों में से जो कम बुरा है उसके पक्ष में मतदान कथि जाए तो नशिचति ही यह लोकतंत्र के लिये शुभ संकेत नहीं है।
- कथा हमारी व्यवस्था ऐसा उम्मीदवार नहीं दे सकती जो जनता के हति और कलयान के लिये प्रतिबिद्ध हो, मान लिया जाए कि किन्हीं प्रसिद्धियों में कोई भी सुयोग्य उम्मीदवार नज़र नहीं आता तो अब जनता क्या करे? इस सवाल को लेकर बहुत लम्बे समय तक बहस चलती रही।
- अंततः नोटा (none of the above-NOTA) के रूप में इसका समाधान प्रस्तुत कथि गया। लेकिन क्या नोटा लोकतंत्र में जनता के मालकिना हक्क को कायम रखने में सफल रहा है, या सफल रहेगा? यह अभी भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। अतः इस आलेख में नोटा की सम्भावनाओं के संबंध में चर्चा करना दलिचस्प होगा।

क्या है नोटा?

- भारत में नोटा पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 में दिये गए एक आदेश के बाद शुरू हुआ, विति हो कि प्रीपल्स यूनियन फॉर सविल लिब्रेटीज़ बनाम भारत सरकार मामले में शीर्ष न्यायालय ने आदेश दिया कि जनता को मतदान के लिये नोटा का भी विकल्प उपलब्ध कराया जाए। इस आदेश के बाद भारत नकारात्मक मतदान का विकल्प उपलब्ध कराने वाला विश्व का 14वाँ देश बन गया। नोटा के तहत ईवीएम मशीन में नोटा (NONE OF THE ABOVE-NOTA) का गुलाबी बटन होता है। यदि पारटीयाँ गलत उम्मीदवार देती हैं तो नोटा का बटन दबाकर पारटीयों के प्रतिजनता अपना विरोध दर्ज करा सकती है।

नोटा के तीन वर्षों के पश्चात की स्थिति

- विति हो कि नोटा के लागू होने के बाद से अब तक एक लोक सभा चुनाव और चार दौर के विधान सभा चुनाव हो चुके हैं फरि भी नोटा के तहत कथि गए मतदान का प्रतिशत 2.02 से आगे नहीं बढ़ा है, दरअसल अभी भी लोगों में नोटा को लेकर जागरूकता का अभाव है।
- नोटा लागू होने के उपरांत हुए लोक सभा और विधानसभा चुनावों के दौरान होने वाले कुल मतदान के आँकड़ों का अध्ययन करें तो कुछ दलिचस्प आँकड़े सामने आते हैं जैसे- नोटा के अंतर्गत मतदान का प्रतिशत उन जगहों में अधिक रहा है जो नक्सलवाद से प्रभावित इलाके हैं या फरि आरक्षित चुनाव क्षेत्र हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि चुनाव क्षेत्रों को आरक्षित करने के सन्दर्भ में अभी भी सामाजिक सहभागिता का अभाव है और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में राजनैतिक दलों को लेकर अभी भी उतनी दलिचस्पी नहीं पैदा हुई है।
- एक और संकेत यह देखने को मिला है कि जहाँ केवल दो मुख्य राजनैतिक दलों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे वहाँ भी नोटा के तहत मतदान का प्रतिशत अधिक है। नशिक्रष्टः हम कह सकते हैं, लोग चुनावों में क्षेत्रीय दलों को बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं। हालाँकि ये आँकड़े अभी तक एक से अधिक स्तरों के माध्यम से नहीं आए हैं अतः यह देखना होगा कि नोटा के संबंध में भविष्य में आने वाले अन्य आँकड़ों का रुझान क्या है?

नोटा आवश्यक क्यों?

- विति हो कि नोटा की माँग का उद्देश्य यह था कि लोकतंत्र में जनता के मालकिना हक्क को सुनिश्चित कथि जाए। यह जनप्रतिनिधियों को नरिकुश न होने, उन्हें उनके दायतियों के प्रतिर्द्विमानदार बनाए रखने की कारगर व्यवस्था हो सकती है। जनता को उम्मीदवारों को नकारने का विकल्प देना इस बात का परचायिक है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपराहै।
- गौरतलब है कि बहुत से लोग कसी भी उम्मीदवार को सही नहीं मानते हुए मतदान नहीं करना चाहते फरि भी वे इसलिये ऐसा करते हैं कि कहीं उनकी जगह कोई दूसरा मतदान न कर दे, पहले उन्हें विश्व होकर कसी न कसी को मत देना ही पड़ता था लेकिन नोटा आने के बाद ऐसे लोगों को विकल्प मिल गया है।

नोटा होना न होना एक समान क्यों?

- सैद्धांतिक तौर पर तो नोटा एक महत्वपूर्ण प्रयास है लेकिन वास्तविकता के धरातल पर यह वांछति परणिम देने में उतना सफल प्रतीत नहीं हो रहा है। दरअसल, यदि नोटा के अंतर्गत पड़े मत का प्रतिशत, कसी अन्य उम्मीदवार को मलि मत के प्रतिशत से अधिक हो तब भी अन्य सभी उम्मीदवारों

में जो सबसे आगे होगा वह वजियी घोषति कर दया जाएगा। इस बाटु पर कई वदिवान तो नोटा को लोकतंत्र के महापर्व में ससिटम की तरफ से जनता को बाँटा गया झुनझुना तक की संज्ञा दे डालते हैं।

नष्टिकरण

- यदलोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा करनी है तो चुनाव सुधार पहला प्रयास होना चाहयि। दरअसल, जनता यद्युपने प्रतनिधियों से असंतुष्ट है तो अगले चुनावों में उन्हें सबक सखिया सकती है, चुनाव तो 5 साल में एक बार आते हैं अतः जनता के पास 'राईट तो रकिल' के तहत उन्हें समय से पहले वापस बुलाने का भी अधिकार है, लेकिन समस्या यह है कि कई बार ऐसी परस्थितियाँ बन जाती हैं जब जनता को लगता है कि सारे ही उम्मीदवार अयोग्य हैं, फरि भी कसी न कसी का जीतकर संसद या वधिन भवन में पहुँच जाना नश्चित ही नोटा के मूल उद्देश्य के सापेक्ष नज़र नहीं आता।
- हालाँकि सुपरीम कोर्ट ने नोटा को आवश्यक बनाए जाने के अपने आदेश में केवल इस पहलू पर गौर कथा था कि यदजिनता को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं आता है तो वह क्या करे। लेकिन यह सवाल भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि यदि नोटा को कसी भी उम्मीदवार से अधिक मत मिलने की सूरत में क्या कथा जाए? मद्रास उच्च न्यायलय में नोटा के तहत सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने के संबंध में एक जनहति याचिका दायर की जा चुकी है। हालाँकि मिसला केवल न्यायपालिका के ही दायतिव का नहीं है, वधियकिए को भी नोटा को वयवहारकि बनाए जाने के संबंध में प्रयास करना चाहयि।
- वकास या बेहतरी में अवरोध उत्पन्न होते ही जनता बदिकती है और राजनैतिक दलों का कलिं ढहने लगता है लेकिन जाति और धर्म को मिलाकर बनाए गए सीमेंट से इस कलिं की मरम्मत कर दी जाती है। जागरूक मतदाता यह सोचता है कि वह कसी को भी मत नहीं देगा और वह नोटा का बटन दबा आता है, जबकि अपरत्यक्ष तौर पर इससे होता तो कुछ भी नहीं है, हाँ हमलोगों को यह नष्टिकरण निकालने का मौका जरूर मिल जाता है कि कसी स्थान वशिष्ठ पर नोटा के अंतर्गत हुए मतदान के नहितिरथ क्या हैं? नोटा की पृष्ठभूमि में यह सब कब तक चलता रहेगा? नोटा, स्वाभाविक तौर पर भी अपना अगला चरण तो तलाशेगा ही।